

चरण लाल साहू  
बनाम  
डॉ.ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और अन्य

11 दिसंबर, 2002

[मु.न्या., जी. बी. पटनायक, न्या.वी. एन. खरे, न्या., के. जी. बालकृष्णन,  
न्या., अशोक भान और न्या., अरुण कुमार]

*चुनाव कानून:*

*राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952:*

धारा 13 (क), 14क, 18 (1) और 19-भारत के राष्ट्रपति का चुनाव-चुनौती-उस व्यक्ति की अवस्थिति जिसका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है- अभिनिर्धारित, ऐसा व्यक्ति को चुनाव को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसे नामित नहीं माना गया है या जो विधिवत नामित किये जाने का दावा कर रहा हो, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974-जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, धारा 1951- धारा 29क-भारतीय संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 21, 38, 54, 71, 79, 80 (1) और 324-सर्वोच्च न्यायालय नियमावली, 1966-आदेश XXXIX

धारा 5ख और 5ग-प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया वैध है और भारतीय संविधान के अंतर्गत है।

*अभ्यास और प्रक्रिया:*

इस आधार पर तुच्छ याचिकाएं दायर करना कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है-अवमानित- जुर्माना लगाया गया।

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए याचिकाकर्ता का नामांकन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 5ख का पालन न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 38, 71 (1) और (3), 79, 80 (1) और 324 का उल्लंघन करते हुए अपने नामांकन की अस्वीकृति, प्रत्यर्थी 1 और 2 के नामांकन की स्वीकृति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका है। उसने इसी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका भी दायर की।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न थे कि क्या याचिकाकर्ता के पास चुनाव याचिका दायर करने का अधिकार है; क्या वह अधिनियम की धारा 5ख

और 5ग के प्रावधानों के अनुसार विधिवत नामांकित उम्मीदवार था; क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम की धारा 5ख और 5ग या अधिनियम और नियमों के किसी अन्य प्रावधान की वैधता को चुनौती वैध थी; और क्या विशेष अनुमति याचिका और चुनाव याचिका स्वीकार्य है। [23-ख,ग]

याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1. याचिकाकर्ता को ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता जिसे नामांकित किया गया था या वह दावा कर सकता है कि उसे प्रश्रुत चुनाव में उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया था। इस प्रकार उसके नामांकन पत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत खारिज कर दिया गया और इसलिए उसकी ओर से याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

*चरण लाल साहू बनाम के. आर. नारायणन और अन्य*, [1998] 1 एससीसी 56; *चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह*, [1984] 1 एस. सी. सी. 390 और *चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी और अन्य*, [1978] 2 एससीसी 500, पर भरोसा किया गया।

2. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 5ख और 5ग की संवैधानिक वैधता के बारे में प्रश्न, चूंकि इस न्यायालय द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण के मद्देनजर इन बिंदुओं की आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया वैध है और भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं है। [23-ग; 24-छ, ज; 25-क]

*चरण लाल साहू बनाम फखरुद्दीन अली अहमद और अन्य*, एआईआर (1975) एससी एफ 1288; *चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी और अन्य*, [1978] 2 एस. सी. सी. 500; *चरण लाल साहू बनाम के. आर. नारायणन और अन्य*, [1998] 1 एस. सी. सी. 56; *मिथलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी*, [1993] पू.4 एस. सी. सी. 386, पर भरोसा किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की वैधता पर आपत्तियाँ इतनी तुच्छ हैं कि उन्हें इस न्यायालय के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 [25-ख] द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों को सही तरीके से खारिज कर दिया गया।

4. चुनाव याचिका या उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका में कोई योग्यता नहीं है। प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार जमा की गई राशि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। जब तक लगाई गई राशि जमा नहीं होती, तब तक याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई कोई भी याचिका इस न्यायालय में स्वीकार नहीं की जाएगी। [ 26 – ख]

*चरण लाल साहू बनाम के. आर. नारायणन और अन्य, [1998] 1 एस. सी. सी. 56, संदर्भित।*

*मूल क्षेत्राधिकार: 2002 की चुनाव याचिका संख्या 1*

*(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 (1) और 131 (1) के तहत)*

*के साथ*

*विशेष इजाजत याचिका (ग) सं. 22385/2002*

*याचिकाकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से*

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

**न्यायधीश भान** यह खेदजनक है कि न्यायालय द्वारा चार बार आगाह किये जाने के बावजूद कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को किसी दर्पवश और हल्के-फूल्के आचरण द्वारा चुनौति ना दे, याचिकाकर्ता, जो कि एक अधिवक्ता है, इसने वर्तमान चुनाव याचिका दायर की है, जो उसी तरह और उसी आधार पर चुनाव याचिका दायर है और डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम- प्रत्यर्थी सं. 1 के तौर पर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौति दिया है जिसमें उसके खुद के मामले में निर्णय न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया है। इस बात से हमारा खेद और बढ़ जाता है कि याचिकाकर्ता एक अधिवक्ता है। हम ऐसा अनुमान करते हैं कि वह पूर्व के मामलों के निष्कर्षों का मूल्य जानता है जिसे देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदघोषित किया जा चुका है।

यह निर्णय चुनाव याचिका सं.1/2002 और विशेष अनुमति याचिका से जिन तथ्यों को रखा गया है, उन बिन्दुओं को भी शामिल करता है और उनका ख्याल रखता है जिन्हें विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया है।

याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के निर्वाचन को चुनौती दी है, जो निर्वाचन अधिकारी श्री आर.सी. त्रिपाठी, महासचिव, राज्य सभा द्वारा प्रकाशित दिनांक 11 जून, 2002 की अधिसूचना के अनुसरण में हुआ था। उक्त चुनाव राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था।।

निर्धारित समय के भीतर कुल 54 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रत्यर्थी सं. 1 को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और उसके सहयोगियों तथा मुख्य विपक्षी दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) और उसके सहयोगियों द्वारा नामित किया गया

था, जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सी.पी.आई.(एम) और उसके सहयोगी दलों द्वारा प्रायोजित और नामित किया गया था।

राष्ट्रपति के संबंध में नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी द्वारा 26 जून, 2002 को निर्वाचन, 2002 आयोजित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिए गए। याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके साथ मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति नहीं थी और प्रस्तावकों और समर्थनकर्ताओं की कमी के कारण कानून की आवश्यकताएं अधूरी थीं। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर दो जोड़े नामांकन पत्रों पर अपनी लिखित आपत्तियां दायर की थीं, जिन पर विधिवत विचार किया गया और बिना किसी तथ्य के खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बीच मुकाबले के लिए मतदान 15 जुलाई, 2002 को हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 1 को बहुमत से भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। उक्त चुनाव का परिणाम 18 जुलाई 2002 के भारत के असाधारण राजपत्र में घोषित किया गया, जिसमें डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रत्यर्थी सं. 1 को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने 25 जुलाई, 2002 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

10 जुलाई, 2002 को याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(1)(2) के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय में सि.रि.या.संख्या 4119/2002 दायर कर अपने नामांकन पत्र को खारिज किए जाने और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के नामांकन पत्रों को स्वीकार किए जाने तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और नियमों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 38, 54, 71(1)(3), 79, 80(1) और 324 का उल्लंघन है। उक्त रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 12 जुलाई, 2002 को एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22385/2002 दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से उत्पन्न हुई है।

2002 की चुनाव याचिका संख्या 1 में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को भारत का विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित करने के चुनाव के परिणाम को याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र की अवैध अस्वीकृति और प्रत्यर्थी संख्या 1 के नामांकन पत्र की अवैध स्वीकृति के लिए अमान्य घोषित किया जाए। अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधान भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत हैं, जिसे पहले चुनौती दी गई थी रिट याचिका में उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका में भी रखा गया है।

अधिनियम के भाग 2 (धारा 3 से 12) में निम्नलिखित प्रावधान हैं -राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन से संबंधित है। धारा 3 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति और

उपराष्ट्रपति के प्रत्येक चुनाव के उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो अपने कार्यालय दिल्ली में, एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। धारा 4 (1) के तहत चुनाव आयोग अधिसूचना द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, नामांकन की जांच की तिथि, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि और चुनाव की तिथि, यदि आवश्यक हो, निर्धारित करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। धारा 5 में धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव की सार्वजनिक सूचना देने का प्रावधान है। धारा 5क में निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए नामित किया जा सकता है यदि वह संविधान के तहत उस पद के लिए चुने जाने के योग्य है। धारा 5ख नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है और वैध नामांकन की आवश्यकता को निर्धारित करती है। धारा 5 की उप-धारा (1) यह अपेक्षा करती है कि नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया नामांकन के लिए सहमति के रूप में उम्मीदवार द्वारा सदस्यता ली जानी चाहिए। धारा 5 (1) के खंड (क) में, जैसा कि यह 5.6.1997 से पहले था, यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के मामले में, नामांकन पत्रों को कम से कम दस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम दस मतदाताओं को अनुमोदक के तौर पर सदस्यता दी जाएगी। धारा 5ख (2) में कहा गया है कि प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी जिसमें उम्मीदवार मतदाता के रूप में पंजीकृत है। कोई भी नामांकन पत्र जो प्रमाणित प्रति के साथ नहीं है, धारा 5 ख (4) के तहत अस्वीकार किया जाना आवश्यक है। 5.6.1997 से पहले की धारा 5ग में यह निर्धारित किया गया था कि एक उम्मीदवार को चुनाव के लिए विधिवत नामित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह दो हजार पाँच सौ रुपये की राशि जमा नहीं करता या जमा नहीं कराता। धारा 5 ड. निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के लिए प्रावधान करती है। धारा 5 ड. (3) (ग) के आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति का प्रावधान है यदि इसे आवश्यक संख्या में प्रस्तावकों या समर्थनकर्ताओं द्वारा सदस्यता नहीं दी गई है और आधार (ड.) के लिए प्रावधान करता है। धारा 5ड.-3 का आधार (ग) किसी नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का प्रावधान करता है, यदि उस पर अपेक्षित संख्या में प्रस्तावक या समर्थक हस्ताक्षर नहीं करते हैं और आधार (ड.) धारा 58 या धारा 5ग के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का प्रावधान करता है। धारा 8 में चुनाव लड़ने और निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 9 में चुनाव में मतदान के तरीके का प्रावधान है और धारा 10 में मतों की गिनती का प्रावधान है। धारा 11 में मतों की गिनती पूरी होने पर परिणामों की घोषणा का प्रावधान है।

अधिनियम 35/97 द्वारा धारा 58 के खण्ड (क) में 10 प्रस्तावक तथा 10 अनुमोदकों के स्थान पर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की स्थिति में प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक तथा अनुमोदक के रूप में

कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए। धारा 5 में जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई।

अधिनियम के भाग III (धारा 13 से 20) में चुनाव संबंधी विवाद से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 13 (क) में "उम्मीदवार" की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति है जो किसी चुनाव में विधिवत उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है या होने का दावा करता है। धारा 14 (1) में प्रावधान है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को चुनाव याचिका प्रस्तुत किए बिना किसी भी चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय को चुनाव याचिका पर विचार करने के लिए प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 14 (क) की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि *चुनाव याचिका या तो ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा या राष्ट्रपति चुनाव के मामले में याचिकाकर्ताओं के रूप में एक साथ आए बीस या अधिक मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।* धारा 18 में उन आधारों को निर्धारित किया गया है जिनके आधार पर निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। धारा 18 का खंड (ग) जिससे हम संबंधित हैं, यह प्रावधान करता है कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है या सफल उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है तो चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।

हमने इन याचिकाओं में नोटिस जारी करना करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि चुनाव याचिका के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिका में भी मुद्दे उठाए गए थे इस न्यायालय के पिछले निर्णयों द्वारा पहले से ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है।

अधिनियम की धारा 14 में प्रावधान है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के अलावा कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। उप-धारा (2) निर्दिष्ट करती है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा। उपधारा (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव याचिका को इस भाग के प्रावधानों और अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के भाग VII, आदेश XXX, जिसे सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के रूप में जाना जाता है, जिसमें अधिनियम की धारा 14 (3) के भाग III के तहत दायर याचिका चुनाव से संबंधित नियम शामिल हैं। नियम 34 में यह प्रावधान है कि इस आदेश या न्यायालय के किसी विशेष आदेश या निर्देशों के प्रावधानों के अधीन, चुनाव याचिका में प्रक्रिया, यथासंभव, अपने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। इस प्रकार, इस न्यायालय के नियमों के भाग III में निहित प्रक्रिया जिसमें आदेश XXIII A से संबंधित वादों द्वारा वादों की स्थापना शामिल है, वादों के लिए "याचिका" शब्द को पढ़ने के बाद चुनाव याचिकाओं द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होती है। इन नियमों के नियम 6 में यह प्रावधान है कि यह न्यायालय, वाद को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने और क्रमांकित करने के बाद, वाद को "जहां यह कार्रवाई का कारण प्रकट नहीं करता है"

या जहां "वाद वाद बी में कथन से किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है" अस्वीकार कर देगा। चूंकि इस याचिका में उठाए गए मुद्दे इस न्यायालय के पिछले निर्णयों द्वारा निष्कर्षित हैं, इसलिए हमने प्रारंभिक चरण में नोटिस जारी करना और याचिका का निपटारा करना आवश्यक नहीं समझा है। हमारे सामने विचार के लिए उठने वाले मुद्दे हैं:

- (1) क्या याचिकाकर्ता के पास अपनी चुनाव याचिका को बनाए रखने का अधिस्थिति है, या दूसरे शब्दों में, क्या वह धारा 5 ख और 5 ग के प्रावधानों के अनुसार विधिवत नामित उम्मीदवार है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम?
- (2) क्या याचिका ने अधिनियम की धारा 5ख और 5ग या अधिनियम और नियमों के किसी अन्य प्रावधान की वैधता को वैध चुनौती दी है?
- (3) क्या याचिका विचारणीय है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका गुप्त मतदान द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अनुच्छेद 71 इस प्रकार बताता है:

**“71. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले-** (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की किये गये जाँच और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित होंगे जो अंतिम होंगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन में उसके द्वारा किए गए कार्य, जैसा भी मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले, उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं किए जाएंगे।

(3) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी मामले को कानून द्वारा विनियमित कर सकती है।

(4) किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा।”

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 (3) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। जिन आधारों पर चुनाव पर सवाल उठाए जा सकते हैं, साथ ही इस पर सवाल उठाने का तरीका अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। अधिनियम की धारा 14क एक

चुनाव याचिका प्रदान करती है जिसमें कहा गया है कि चुनाव को धारा 18 की उप-धारा (1) और धारा 19 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में किसी भी उम्मीदवार द्वारा ऐसे चुनाव में या राष्ट्रपति चुनाव के मामले में 20 या उससे अधिक निर्वाचक द्वारा याचिकाकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 13 (क) 'उम्मीदवार' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित किया गया है या होने का दावा करता है।

याचिकाकर्ता अपनी याचिका में स्वीकार करता है कि उसे अधिनियम की धारा 5ख के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार विधिवत नामित नहीं किया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक उम्मीदवार ऐसा करेगा।

"..... धारा 5 के तहत जारी सार्वजनिक सूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया एक नामांकन पत्र और नामांकन के लिए सहमति के रूप में उम्मीदवार द्वारा सदस्यता दी गई, और

(क) राष्ट्रपति चुनाव के मामले में भी कम से कम पचास निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और अनुमोदक के रूप में कम से कम पचास निर्वाचक;

(ख) उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में, कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में:

सार्वजनिक अवकाश के दिन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कोई भी नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

XXXX

XXX

XXX"

पुनः धारा 5ग में कहा गया है कि:

"5ग. (1) किसी अभ्यर्थी को तब तक निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह पन्द्रह हजार रुपये की धनराशि जमा नहीं कर देता या जमा नहीं करवा देता;

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामनिर्देशित किया गया है, वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप अपेक्षित नहीं होंगे।

XXX

XXX

XXX"

याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रस्तावकों और समर्थनकर्ताओं की अपेक्षित संख्या द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित नहीं किया गया था। इस न्यायालय द्वारा इस बिंदु की जांच विस्तृत रूप से पहले के एक मामले में किया गया जा चुका है जो कुछ इसी तरह का पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी

के खिलाफ *चरण लाल साह बनाम नीलम संजीव रेड्डी*, [1978] 2 एस. सी. सी. 500 द्वारा दायर किया गया था और इसमें यह माना गया था कि:

"उपर्युक्त प्रावधानों पर हमारे द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के परिणामस्वरूप हम यह सोचते हैं कि, राष्ट्रपति चुनाव पर प्रश्न खड़ा करने की प्रक्रिया या तरीका सुनिश्चित कर दी गयी है, याचिकाकर्ता यदि राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती देना चाहता है और इस याचिका को बनाये रखना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से उस संपूर्ण प्रक्रिया के तहत आना होगा। नहीं तो फिर न तो वह उम्मीदवार हो सकता है और न ही उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है, तो उनकी याचिका में ही उनके द्वारा किए गए दावों पर, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री नीलम संजीव रेड्डी के चुनाव पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा। इस न्यायालय के नियमों के आदेश XXXIX, नियम 2 और 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 14 (1), 14 (2) और 14 (3) और 14क (1) के प्रावधान का प्रभाव यह है कि हमारे समक्ष याचिका पर रोक लगा दी गई है क्योंकि याचिकाकर्ता को इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक अधिस्थिति नहीं मिला है।"

पुनः *चरण लाल साह बनाम ज्ञानी जैल सिंह*, [1984] 1 एस. सी. सी. 390 याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 13 (क) के दूसरे अंग पर उम्मीदवार को परिभाषित करने के लिए उठाए गए बिंदु; "उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित किए जाने के दावे" को खारिज कर दिया गया था। उक्त तर्क को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

"हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भले ही यह माना जाता है कि उन्हें उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित नहीं किया गया था, उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे "विधिवत नामित होने का दावा करते हैं"। यह सच है कि उम्मीदवारी के मामले में, जो व्यक्ति विधिवत नामित होने का दावा करता है, वह उस व्यक्ति के बराबर है जो वास्तव में विधिवत नामित किया गया था। लेकिन, विधिवत नामित होने का दावा उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसका नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5-ख (1) (क) की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, जिस व्यक्ति के नामांकन पत्र पर, बेशक, प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में अपेक्षित संख्या में निर्वाचक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे विधिवत नामित किया गया था। ऐसा दावा केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो यह दिखा सके कि उसका नामांकन पत्र धारा 5-ख के प्रावधानों के अनुरूप था और फिर भी इसे अस्वीकार कर दिया गया था, अर्थात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, यदि निर्वाचन अधिकारी इस आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार कर देता है कि नामांकन का प्रस्ताव करने वाले दस सदस्यों में से एक निर्वाचक नहीं है, तो याचिकाकर्ता दावा कर सकता है कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, यदि वह यह साबित कर दे कि उक्त प्रस्तावक वास्तव में एक 'निर्वाचक' था।

इस प्रकार, किसी व्यक्ति के लिए यह दावा करने का अवसर तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसका नामांकन पत्र - वैधानिक शर्तों को पूरा करता हो जो नामांकन पत्र के दाखिले को नियंत्रित करती हैं और अन्यथा नहीं। यह दावा कि उन्हें 'विधिवत' नामित किया गया था, आवश्यक रूप से इंगित करता है और इसमें यह दावा शामिल है कि उनका नामांकन पत्र अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप था। इसलिए, एक प्रतिभागी जिसके नामांकन पत्र पर अधिनियम की धारा 5-ख (1)(क) के अनुसार कम से कम दस निर्वाचक ने प्रस्तावक के रूप में और दस निर्वाचकों ने अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वह विधिवत नामांकित होने का दावा नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई प्रतिभागी जिसने अपने नामांकन पर अपनी सहमति नहीं दी है। एक प्रतिभागी का यह दावा कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से उत्पन्न होना चाहिए। यह अधिनियम के उल्लंघन से उत्पन्न नहीं हो सकता है। अन्यथा, एक व्यक्ति जिसने कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन जिसने केवल निर्वाचन अधिकारी को मौखिक रूप से सूचित किया था कि वह चुनाव लड़ना चाहता है, वह भी यह दावा कर सकता है कि वह "उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित होने का दावा करता है"।

याचिकाकर्ता द्वारा *चरण लाल साहू बनाम के.आर. नारायणन एवं अन्य* [1998] धारा 56 में दायर चुनाव याचिका में सुपुर्दगी के अधिकार के प्रश्न की तीसरी बार जांच की गई, यह फिर से दोहराया गया कि:

"ऊपर उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी "उम्मीदवार" नहीं था जैसा कि उक्त अभिव्यक्ति अधिनियम की धारा 2 (घ) में परिभाषित की गई है क्योंकि उनमें से किसी को भी विधिवत नामांकित नहीं किया गया था और न ही वह उम्मीदवार के रूप में नामांकित होने का दावा कर सकता था क्योंकि उन दोनों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5 -ख (1)(क) की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते थे और याचिकाकर्ता 2 का नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5-ख (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना दाखिल किया गया था। इस दृष्टिकोण से यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं में से किसी के पास याचिका को बनाए रखने का अधिकार नहीं है"।

इस न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे नामित किया गया था या होने का दावा कर सकता है विचाराधीन चुनाव में उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित किया गया। इस प्रकार उनके नामांकन पत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इसलिए उनकी ओर से याचिका विचारणीय नहीं है।

1997 के अधिनियम संख्या 35 द्वारा संशोधन के पूर्व धारा 5ख और 5ग की संवैधानिक वैधता के बारे में प्रश्न, जिसमें प्रावधान था कि प्रस्तावक के रूप में कम से कम दस प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में दस निर्वाचक होने चाहिए, की जांच *फकरुद्दीन अली अहमद* के मामले (पूर्वोक्त) और *नीलम संजीव रेड्डी* के मामले (पूर्वोक्त) में की गई थी। इन दोनों धाराओं की उस समय की वैधता को बरकरार रखा गया था। 1997 के अधिनियम संख्या 35 द्वारा धारा 5ख और 5ग में संशोधन करने की

वैधता, जिसमें संशोधन से पहले प्रावधान किए गए दस प्रस्तावकों और अनुमोदकों के बजाय प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में कम से कम पचास निर्वाचक का प्रावधान था, *के.आर. नारायणन* के मामले (पूर्वोक्त) में सवाल उठाया गया था। इसे खारिज कर दिया गया और इन दोनों प्रावधानों को अंतर-कानूनी माना गया। यह माना गया कि :

“याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन के संबंध में धारा 5-ख और 5-ग के प्रावधानों की वैधता के संबंध में, जैसा कि वे 5-6-1997 से पहले थे, यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रावधानों की वैधता को इस न्यायालय द्वारा *चरण लाल साहू बनाम फखरुद्दीन अली अहमद*, *चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी* एवं *चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह* मामले में बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ता 1 इन सभी निर्णयों का एक पक्षकार था। अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधनों की वैधता को चुनौती दी गई है ऊपर निर्दिष्ट तीन रिट याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा नकार दिया गया, जिनमें से दो याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि इस याचिका में धारा 5- ख. की वैधता को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 55 (3) में शामिल मतपत्र की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और इस आधार पर पहले के फैसलों में विचार नहीं किया गया है। हम इस विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। धारा 5-ख(1)(क) में नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में एक विशेष संख्या में निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बारे में जो आवश्यकता है, वह किसी भी तरह से चुनाव में मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि जिस निर्वाचक ने किसी व्यक्ति के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, वह किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है और उस व्यक्ति को वोट देने के लिए बाध्य नहीं है जिसके नामांकन पत्र पर उसने प्रस्तावक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। जिस उम्मीदवार के पक्ष में उसने अपना वोट डाला है, उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।”

इस विवाद पर कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 और 71 के बीच टकराव था, *नीलम संजीव रेड्डी* के मामले में भी इस प्रकार टिप्पणी करके खारिज कर दिया गया था:

“यह हमारे लिए स्पष्ट है कि अनुच्छेद 58 केवल एक उम्मीदवार की पात्रता के लिए योग्यता या शर्तों का प्रावधान करता है। इसका किसी उम्मीदवार के नामांकन से कोई लेना-देना नहीं है जिसके लिए दस प्रस्तावकों और दस अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। हमारा मानना है कि भारत के राष्ट्रपति जैसे उच्च पद के चुनाव के मामले में, यह शर्त रखना काफी उचित है कि जिस व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति है, उसके पास सैकड़ों निर्वाचकों में से कम से कम दस प्रस्तावक और दस अनुमोदक होने चाहिए जो कि कानून निर्माता हैं। हमारा मानना है कि धारा 5ख और 5ग का विषय पूरी तरह से ऊपर दिए गए संविधान के अनुच्छेद 71 (1) के प्रावधानों में शामिल है। हम यह भी सोचते हैं कि इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अधिनियम की धारा 5 ख और 5 ग संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ टकराव में हैं। धारा 5ख और 5ग में निर्धारित शर्तें उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो बिना भेदभाव किसी शर्त

के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं। । उन्होंने प्रथम दृष्टया उचित शर्तें लगाई हैं जिनका पालन किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो राष्ट्रपति चुनाव में गंभीरता से भाग लेना चाहता है। इसलिए, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 71(3) से अलग भी वैध होगा।”

इन प्रावधानों की हर संभावित चुनौती को इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अपने मामले और *मिथलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी* [1993] पूरक 4 एस. सी. सी. 386 में उपरोक्त तीन फैसलों में पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। हमें इस न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण को देखते हुए इन बिंदुओं की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके साथ हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

एक और तर्क जिस पर ध्यान देने और उसे खारिज करने की जरूरत है, वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया की वैधता या भारत के संविधान के विपरीत होने के बारे में है। अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया को पहले ही संदर्भित निर्णयों में बरकरार रखा जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की वैधता पर आपत्तियाँ, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, इतनी तुच्छ हैं कि उन्हें इस न्यायालय के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। हमारी राय में, निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों को सही ढंग से खारिज कर दिया।

निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हम एक पहलू पर ध्यान देना चाहेंगे जिसे इस न्यायालय ने के.आर. नारायणन मामले (पूर्वोक्त) में विशेष रूप से इंगित किया था जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता बल्कि इसे फिर से उजागर करने की आवश्यकता है। यह देखा गया कि उक्त चुनाव याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता ने वर्ष 1974, 1977, 1982 और 1997 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चार चुनाव याचिकाएँ दायर की थीं। इन सभी चुनाव याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पास चुनाव याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था। के.आर. नारायणन मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद कि उसी आधार पर तुच्छ चुनाव याचिकाएँ दायर नहीं की जानी चाहिए, याचिका को खारिज करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ऐसी तुच्छ चुनाव याचिकाएँ दायर करने के खिलाफ़ कड़ी आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की गई:।

“हम पाते हैं कि इन टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई यह चुनाव याचिका कोई सुधार नहीं दिखाती है। इसमें भी वही दोष है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई पिछली याचिकाओं में थे। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता इस इच्छा से ग्रस्त

हैं कि उन्हें किसी रिकॉर्ड बुक में जगह मिल जाए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर करने का प्रलोभन उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। यह खेद की बात है कि याचिकाकर्ता, जो खुद एक वकील है, यह जानते हुए भी कि उसका ऐसा आचरण कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, अपने शगल में लगा हुआ है। इस न्यायालय ने अब तक याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले दायर की गई चुनाव याचिकाओं में लागत लगाने से परहेज किया है। अब समय आ गया है कि इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों में आधिकारिक रूप से निर्धारित कानून के बावजूद इस याचिका को दायर करने में लगे रहने वाले याचिकाकर्ताओं पर लागत लगाई जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता है; ने इस न्यायालय द्वारा पिछले निर्णयों में की गई टिप्पणियों से कोई सबक नहीं सीखा है और इसीलिए हमने निर्णय की शुरुआत इस टिप्पणी से की है कि याचिकाकर्ता जो एक अधिवक्ता है, का ऐसा आचरण खेदजनक है। हमें उम्मीद है कि वह फिर ऐसा नहीं करेंगे।

ऊपर बताए गए कारणों से, हमें चुनाव याचिका या दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है और उन्हें प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये की लागत के साथ खारिज किया जाता है। इस प्रकार जमा की गई लागत को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को हस्तांतरित किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई कोई भी याचिका इस न्यायालय में तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि लगाई गई लागत की राशि जमा नहीं कर दी जाती।

के.के.टी.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।